

# न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :-221 / 2019-20

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

रेजन मसीह बाड़यउद

प्रभु दयाल मुन्डू

- विक्रेता

- क्रेता

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित

की क्रम  
का और  
तारीख

6.12.20

## आदेश

आवेदक रेजन मसीह बाड़यउद पिता स्व0 अब्राहम बाड़यउद ग्राम-अमृतपुर, पो0-खूँटी, थाना खूँटी, जिला खूँटी ने प्रभु दयाल मुन्डू पिता सबन मुन्डू ग्राम-बारूडीह खटंगा, पो0-अनिगड़ा, थाना खूँटी, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा(एकड़ में)
कदमा	84	35	85	0.07

उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र/खतियान एवं लगान की रसीद 0612095857 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 1015 दिनांक 07.12.2020 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि सादा पट्टा द्वारा दिनांक 03.02.1938 से क्रय की गयी है। खतियानी रैयत का नाम सूखु पहान वगैरह हैं। पंजी II के अनुसार प्रितम मसीह मुण्डा वगैरह के नाम भूमि का 0.07½ एकड़ है। आवेदक के पास कुल रकबा 0.07½ एकड़ भूमि के आलावे अन्य रकबा 2.55½ कुल रकबा 2.63 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2020-21 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित 66181.00(छयासठ हजार एक सौ ऐकासी)रू0 प्रति डीसमिल है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 2.56 एकड़ रह जाती है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना खूँटी के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूर्ईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, खूँटी ने क्रेता-विक्रेता को भूमि क्रय-विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, खूँटी से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण रेजन मसीह बाड़यउद पिता स्व0 अब्राहम बाड़यउद को प्रभु दयाल मुन्डू पिता सबन मुन्डू के साथ ग्राम कदमा के खाता सं0 35 खेसरा संख्या 85 कुल रकबा 0.07 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 66181.00(छयासठ हजार एक सौ ऐकासी)रू0 प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,  
खूँटी।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,  
खूँटी।